EASTERN SUGAR & INDUSTRIES LIMITED

CIN: L15421BR1964PLC006630
Regd. Off: PO. Hanuman Sugar Mills,Motihari,P.S.-Motihari,East Champaran, Bihar-845401
EMAIL ID: info@easternsugar.in

Date: May 07, 2024

To Manager (CRD) BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001	To, The Manager National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra – Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
Scrip Code: 507528	**SYMBOL: EASTSUGIND**

Dear Sir/Madam,

Sub: Compliance under Regulation 42(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Pursuant to Regulation 42(4) of the Listing Regulations, Please find enclosed copies newspaper of Record date for the purpose of capital reduction as per NCLT order dated 04/10/2023, published in the following newspapers on May 07, 2024:

1. Morning India (English)
2. Sanmarg (Hindi)

This is for your information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,
For EASTERN SUGAR & INDUSTRIES LIMITED

Siddharth Gogia
Digitally signed by Siddharth Gogia
Date: 2024.05.07 11:47:24 +05'30'

SIDDHARTH GOGIA
DIRECTOR
DIN: 07202627

Congresss will overturn SC ruling on Ram Mandir, build mosque there: Smriti Irani

AMETHI : Launching a scathing attack on the Congress party, Union Minister Smriti Irani on Monday, alleged that if Congress comes to power, it will overturn the Supreme Court decision on Ram Mandir and will build a mosque there.

Irani, who is BJP's candidate from Amethi was addressing a Nukkad Sabha in Babupur Village, Gauriganj in Amethi, Uttar Pradesh.

"If there had been a Congress MP, a dalaal (middleman) would have stolen vaccines, had there been a Congress MP, someone would have stolen the ration with fake fingerprint and ration could never had reached the people," Irani said.

"Rahul Gandhi was MP from Amethi for so many years, can he point out where exactly the 'Tikariya'village lies?" she further asked.

Taking jibe at Congress, she asked people to ignite fire in Congress' Lanka vote against the Congress party

In a veiled reference to former Congress leader Pramod Krishnam's remarks, Irani said, "A leader who was associated with Congress for 32 years, has said that if Rahul Gandhi gets power, he will overturn the Supreme Court ruling on Ram Mandir and again facilitate a mosque there....it is my appeal to people to become the Hanuman of Democracy and ignite fire in Congress' 'Lanka'."

The Union Minister will seeking re-election from the Amethi, a seat she wrested from Rahul Gandhi in 2019, ending Gandhi family's stint there. Irani defeated Rahul by over 55,000 votes in the last general elections.

Rahul Gandhi was a three-time MP from the seat since 2004 to 2019. The seat was represented from Rajiv Gandhi in the past. Sonia Gandhi too won from the seat in 1999, before passing the baton to Rahul in 2004.

Rahul Gandhi will be contesting elections from RaeBareli, the seat vacated recently by his mother and former Congress President Sonia Gandhi when she moved to Rajya Sabha.

This time, Irani is pitted against Congress candidate Kishori Lal Sharma, a long-time loyalist of the Gandhi family.

The voting in both seats will be held in the fifth phase of the seven-phase Lok Sabha elections on May 7. Polling for 80 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh is being held across all seven phases. The counting of votes is scheduled for June 4.

BJP will end Muslim reservations after forming govt in Andhra, Karnataka: Amit Shah

SAMASTIPUR : Slamming the Congress over "vote bank politics", Union Home Minister Amit Shah on Monday said that the Muslim reservations provided by the Congress in Andhra Pradesh and Karnataka will be abolished after Bharatiya Janata Party is voted to power in both these states.

Addressing a public rally in Bihar's Ujiyarpur on Monday, the Union Home Minister alleged that the Congress gave reservation to Muslims by reducing the quota for SCs, STs and OBCs in Karnataka and Andhra.

"Congress put obstacles in the reservation of backward class people. In Karnataka, they formed government and overnight, without conducting a backward class survey, the Muslim community was included in the backward community and they were given a 5 per cent reservation. Congress reduced the 5 per cent reservation .

AFFIDAVIT

I, Jaikishore Dubey S/o Late Ganesh Dubey Sakin Bhupatipur, Post-Karwatahi Bazar, Thana-Kuchaikot distt.- Gopalganj. According to affidavit no. 163 dated 4.05.24 I declare that my correct name is Jai kishore Dubey S/o Late Ganesh Dubey. I have given affidavit in favour of my correct name and address.

AFFIDAVIT

I, Zayada Khatoon, Vill Khamhaura, P.S.-Daraundha Maharajganj, P.O.- Rajapur, Distt- Siwan, (Bihar) 841 - 841238, Have Changed / Updated My Name to Jaida Khatoon W/o Mohammad Alam, DOB-09/05/1983. For All Purpose For All Future Purpose. Affidavit No. 18 Date 30.04.24

AFFIDAVIT

I, Shahid Hadi, S/o Waris Hadi, R/o Sapna Apartment, Flat no. A/7, Naya Tola, Bankipore, Patna, Pin- 800004, (Bihar). My son's date of birth 28-12-2013 is mentioned in his LIC bond which is wrong, but his correct date of birth is 23.10.2014 mentioned in Aadhar Card. My son's name Jafar Hadi mentioned in his Aadhar Card no. 7593 0882 4422 but in LIC Policy Bond and policy no. 828387686 Ayati Hadi. Jafar Hadi and Ayati Hadi both are same and one person. Affidavit No. 4176 Date 2.04.24.

खोया-पाया

मैं, संजय कुमार सिंह पिता- जलेश्वर सिंह, सिधी देवी, पति-संजय कुमार सिंह सा०-जलालि टोला, थाना-उचकागाँव, जिला-गोपालगंज का निवासी हूं. (1) दस्तावेज सं.-16069,16070, रजिस्ट्री दिनांक-19.11.1997 श्रीमति शैल कुमारी देवी पति-रक्षपाल गिरी बनाम संजय कुमार सिंह, सिधी देवी मौजा- सरेया, थाना नं.-83 तौजी - 39,47 खाता नं.-81 खेसरा नं.-641 रकबा -1 कठा 9 धुर एवं 1 कठा. मैं उपरोक्त दस्तावेज के मुल कॉपी अपने बैग में लेकर दिनांक 26.04.2024 को फोटो कॉपी कराने हेतु जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में कही गिर कर गुम हो गया. काफी खोज बीन करने के बावजुद उपरोक्त दस्तावेज नहीं मिला. SDE No.-0034/01/05/2024

"India is an indispensable part of balancing equation for Australia": Australian envoy

NEW DELHI : Labelling India as an "indispensable part of the balancing equation for Australia", Australia's High Commissioner to India, Philip Green OAM, on Monday, said that the trajectory of India's economy is something that many of Canberra's firms and government want to be closely involved in.

Speaking at an event "Diplomat Diaries", hosted by the Observer Research Foundation in New Delhi, Green further commended India's economy.

Emphasising that Australia has a very prospective bilateral relationship with India, Green said, " I've said that India is an indispensable part of the balancing equation for Australia. I've said that the trajectory of your economy is something that many of our firms and our governments want to be closely involved in."

He further said that almost a million Indian people live in Australia.

"I haven't said it harsh, but there's a third driver here, and that's the now nearly a million people of Indian origin who live in Australia, nearly 4 per cent of our population...." he said.

On allegations made by the US and Canada, Green reiterated the statement by the Australian foreign ministry.

"The first thing to say is that at the time that these allegations first came out, my foreign minister and my department made some statements about our approach to that," he said.

Green stressed, "We haven't changed our view about the rule of law and sovereignty for a country like Australia."

Highlighting the Indo-Pacific, he said, "Although the world is currently awash with security challenges, be that total scale land war in Europe or devastating conflict and terrorism in the Middle East, and although Australia has a level of focus on those things...The key point I want to underline to you is that Australia's focus on the Indo-Pacific has never been so complete. And so I think this is a group of talks called "diplomat diaries."

He added that Australia's diary is full of the Indo-Pacific and although "you could chart on a graph the level of Australian engagement in its region as opposed to the world's over the past 30 years period...."

"Even though there has been a steady increase in our foreign security policies focus on the Indo-Pacific, or as we used to call it, the Asia Pacific, we are now definitely at a new high," Green added.

Australian envoy said that they are enormously optimistic about the economic future of their region.

EASTERN SUGAR & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L15421BR1964PLC006630
Regd. Off: PO. Hanuman Sugar Mills, Motihari, P.S.-Motihari, East Champaran, Bihar-845401
EMAIL ID: info@easternsugar.in

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 42 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 the Company in its Board Meeting held on May 06, 2024, has fixed Monday, May 20, 2024 as the Record Date for the purpose of capital reduction as per NCLT Order dated 04/10/2023

Delhi
May 06, 2024

For **Eastern Sugar & Industries Limited**
Deepak Singh Bhandari
Company Secretary & Compliance Officer

Brij Bhushan Singh case: Delhi Court may pass order on framing of charges today

NEW DELHI : The Rouse Avenue Court is scheduled to pass an order on 'framing of charge' in the matter related to Sexual Harrasment levelled by six women wrestlers against Brij Bhushan Singh.

The Additional Chief Metropolitan Magistrate Priyanka Rajpoot on the last date of the hearing had fixed May 7, 2024, for the pronouncement of order in the matter.

Recently the same court had dismissed an application moved by BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh, seeking further investigation and placing of a Call Detail Record of a coach. Brij Bhushan had sought a direction to place on record the CDR of coach Vijender concerning an alleged incident at the WFI office in New Delhi.

Singh claimed that he was not in Delhi on the said date. He was in Serbia on September 7, 2022.

Additional Public Prosecutor (APP) Atul Srivastav earlier submitted that if something has not been argued by defence counsel, is it the fault of the prosecution. APP submitted that on analysis of CDR, it was found that the location of the coach was in the same area where the WFI office is situated.

Advocate Rajiv Mohan appeared for Brij Bhushan and argued that the victim went to Bulgaria in August 2022. Thereafter she went to WFI in September 2022.

On September 7, 2022, the location of the coach was the WFI office. On that, I was not in India. Counsel for the accused submitted that as per Delhi police the CDR was corroborating the incident. However, the CDR is not filed. If it is filed, the travel documents become important.

The counsel of the complainant submitted that it is a delaying tactic. If the CDR is such important, that could be asked for earlier.

He further submitted that the victim fairly said that she didn't remember the exact date. But the incident happened at the WFI office. We can file a reply.

The Delhi Police chargesheet filed against Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar stated that both the accused are chargesheeted for trial 'without arrest' as they have complied with the directions u/s 41A CrPC by joining the investigation.

The chargesheet was filed against the accused Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar for the commission of offence u/s 354/354A/354D IPC (Brij Bhushan Sharan Singh).

Accused Vinod Tomar aided/facilitated the commission of the crime. Accordingly, he is being forwarded for trial u/s 354/354A/109/506 IPC.

The chargesheet further stated that based on the investigation so far, Brij Bhushan Singh was "liable to be prosecuted and punished for offences" of sexual harassment, molestation and stalking.

A 1599-page chargesheet in the case, having statements of 44 witnesses and six statements was recorded under CrPC 164.

Delhi Police in the chargesheet also submitted several pictures including the picture clicked during the events.Delhi Police chargesheet stated that based on the "investigation so far," of the complaints by six top wrestlers, Singh was "liable to be prosecuted and punished for offences" of sexual harassment, molestation and stalking.

The chargesheet stated that witnesses in the matter have mentioned that they also saw the physically wrong gesture of the then WFI president.

Delhi police had filed a chargesheet against Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar on June 15, last year.

This case was lodged on a complaint lodged by women wrestlers.

In the wrestlers' matter, two FIRs were registered against Brij Bhushan Singh based on the wrestlers' complaints.

One was registered under the POCSO Act and a cancellation report has been filed in the case of a minor wrestler. The second FIR was filed on the complaint of several wrestlers.

In both matters, Delhi Police officials had said that in the FIR registered by the wrestlers, after completion of investigation, we are filing a chargesheet for the offences under sections 354, 354A, 354D IPC against accused Brijbhushan Sharan Singh and for offences under sections109/ 354/354A/506 IPC against accused Vinod Tomar before the Rouse Avenue Court, said Suman Nalwa, PRO, Delhi Police.

Delhi bomb threat: HC asks Delhi govt for reply; police explains steps taken

NEW DELHI : The Delhi High court on Monday sought a report from Delhi Police and the Delhi government in ten days, explaining the steps it has taken to ensure that children were evacuated safely from schools in the event of a bomb scare while hearing a plea related to hoax bomb call incident in private schools in the national capital.

The bench of Justice Subramonium Prasad while fixed matter for May 16 2024, also sought detail of the number of mock drills conducted in schools to ensure evacuation of children without panic.

Court observed that considering the submissions on behalf of the Petitioner as well as the Respondents, the machinery available with the respondents to deal with such situations is alarmingly inadequate.

The court further took note of the fact that there has been an increase in the number of bomb scares/threats in recent time and no substantial preventive steps are being implemented to curb the same.

The court observed that some special institutions such as schools or hospitals required special treatment with respect to Special SOPs being in place to ensure safety. Further, the court enquired as to what steps have been taken to handle such problem in schools.

The Court directed the respondents to file an affidavit stating the number of schools present within the territory of Delhi, the response time required to reach the said spots by the police in case of a bomb threat as well as a report on whether the bomb safety drills were actually being conducted in the schools or not and if so, whom were they being supervised by.

During the hearing, it was submitted by the concerned official from the Department of Education that there is already a requirement for schools to conduct safety drills every quarter and the same is also ensured by way of submission of ATR by the said schools.

The High Court was hearing a petition moved last year by an advocate Arpit Bhargav whose child studies in Delhi Public school. He has sought a direction for formulation of action plan and its implementation in a time bound manner due to bomb threat calls in schools in past years.

The matter was listed for filing of reply on behalf of GNCTD failing which an officer not below the rank of joint secretary from the Department of Education was directed to remain present in court.

No reply was filed on behalf of GNCTD. Adv. Beenashaw N. Soni, appeared for the Petitioner Adv. Arpit Bhargava, along with Adv. Sarthak Sharma, Adv. Pankaj Sehrawat, Adv. Abhishek Gaind, Adv. Mansi Jain, Adv. Ann Joseph, while the State was represented by Adv. Santosh Kumar Tripathi.

It was argued on behalf of the Petitioner that despite of the urgency of the case, no concrete steps are being taken by the Respondents with respect to the situation of bomb threats in schools even the orders of the High Court dated May 23, 2024 has not been complied with.

Any bomb threat, whether a hoax or actual creates a situation of panic and chaos for all stakeholders including the students, school staff as well as the concerned parents who are constrained to leave their jobs at the drop of a hat in order to pick their children from schools.

It was further argued that the lack of any SOP for such situations results in lack of coordination and chaos which ultimately delays any evacuation and in case of an actual bomb being planted, the results could be catastrophic.

ESAF SMALL FINANCE BANK
REGD. OFFICE: ESAF Bhavan, Mannuthy, Thrissur- 680 651, Kerala.

GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold ornaments pledged with ESAF Small Finance Bank and not redeemed by borrowers, despite repeated reminders and notices, of our branches, are listed below. This will be auctioned as per the details given below:

DATE OF AUCTION : **15-05-2024** TIME : **2 PM TO 5 PM**
AUCTION VENUE : **THROUGH E-AUCTION**
AUCTION ADDRESS : **https://egold.auctiontiger.net**
Contact No. 6351896640

To register as bidder for the e-Auction with terms and conditions, and full details of e-Auction please visit the above site

BRANCHES & LOAN ACCOUNT NUMBERS

Aurangabad-Bihar: 63230000377936 **Bhagalpur:** 63230000232070, 386519, 392897 **Bounsi:** 63230000051760 **Patna:** 75230000285402, 350010 **Saharsa:** 63230000068618, 243949, 337733, 385641, 387577, 75220001696320.

Customers who are interested to release the ornaments by paying the total due amount may do so, at the respective branches, on or two days before the date of the auction.

Bidders who wish to participate in the auction shall produce their KYC documents. GST No. is mandatory for registered firms/companies. Bidders shall deposit a sum of Rs.50,000 as EMD before participating in the auction.

Thrissur
Date: **06-05-2024**

Sd/-
Authorized Signatory

Ujjivan Small Finance Bank
Registered Office: Grape Garden, No. 27, 3rd "A" Cross, 18th Main, 6th Block, Koramangala, Bengaluru-560095, Karnataka Branch Office: 4th Floor, Rishi Tech Park, Premises No. 020360, Plot No. DH 6/2, Action Area 1D, New Town- 700160, Kolkata

POSSESSION NOTICE

WHEREAS, the authorized officer of Ujjivan Small Finance Bank, under the Securitization And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act,2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued demand notices to the borrower(s)/ Co-borrower (s) calling upon the borrowers to repay the amount mentioned against the respective names together with interest thereon at the applicable rates as mentioned in the said notices within 60 days from the date of receipt of the said notices, along with future interest as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and/ or realisation.

Sr. No	Loan No	Name of Borrower/ Co-Borrower/Guarantor/ Mortgagor	13(2) Notice Date/ Outstanding Due (in Rs.) as on	Date & Type of Possession
1	333747970 0000026	1) Sheo Nath Mahto 2) Lalita Devi 3) Jageshwar Mahto	29.09.2021 Rs. 4,12,092/- as on 04.09.2021	02.05.2024 Physical Possession

Description of the Immovable Properties: All that piece and parcel of the immovable property, i.e. land in question is situated at Mauza – Sipara, Thana – Beur, Tauzi No.5237, Thana No.27, Khata No.107, Ward No.21 (old) 30 (new), Survey Plot No.588, Area 7 Dhurs, District – Patna.

Whereas the Borrower's/Co-Borrower's/ Guarantor's/ Mortgagors, mentioned herein above have failed to repay the amounts due, notice is hereby given to the Borrower's mentioned herein above in particular and to the Public in general that the authorised officer of Ujjivan Small Finance Bank has taken possession of the properties/secured assets described herein above in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said act read with Rule 8 of the said rules on the dates mentioned above. The Borrower's and Co-Borrower's/Mortgagor's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The Borrower's/Co-Borrower's/Guarantor's/ Mortgagors mentioned herein above in particular and the Public in general are hereby cautioned not to deal with the aforesaid properties/Secured Assets and any dealings with the said properties/ Secured assets will be subject to the charge of Ujjivan Small Finance Bank.

Place:Bihar
Date:02.05.2024

Authorised Officer
For. Ujjivan Small Finance Bank

PUBLIC NOTICE

This is to inform public in general that Kotak Mahindra bank ltd has organized an auction in below mention respect of vehicles.

VEHICLES FOR SALE

1) Model No. CB_AL_DOST_LS_BS_III
Vehicle No. BR01GM5503
YOM - 2023
Reserve Price - 507312.00

Under Hypothecation with **M/S Kotak Mahindra Bank Ltd.** is under sale is its **"AS IS WHERE IS CONDITION".**

Interested parties can give their Quotation within 15 days from the date of advertisement at

Kotak Mahindra Bank Limited, Ground Floor,Hotel Pritam Inn, Main road, Pethia Bazar, Mahavir Cancer Hospital Road Phulwari Sharif Patna -801505, Bihar,Patna
OR
Contact : Avinash Sourav 9643805296 / Manish Kumar Singh7234800958

HINDUJA HOUSING FINANCE

HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED
Registered office - 27,Developed Industrial Estate, Guindy, Chennai – 600 032
Branch Office - 8-B, SK Puri, Shahdeo Mahato Marg, Children park, Boring Road, Patna - 800001

APPENDIX IV
Possession Notice
(Rule 8(1)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Hinduja Housing Finance ,under the Securitisation& Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 (said Act) & in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (said Rules) issued Notices dated mentioned below in column (3) under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the concerned Borrower & other, as per details given below to repay the amount mentioned in the respective Notice within 60 days from the date of the respective Notices. The concerned Borrowers/Property Holders having failed to repay the respective due amounts, notice is hereby given to the Concerned Borrowers / Property Holders in particular and the public in general that the undersigned has taken SymbolicPossessionsof the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act on the dates mentioned below. The Concerned Borrowers /Property Holders in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the concerned properties and any dealing with the said properties will be subject to the charge of Hinduja Housing Finance for amount mentioned below.
The borrower's attention is invited to provisions of sub – section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

LAN No and Name of Borrowers & Address	Demand Notice Date	Outstanding Amount (Rs.)	Date of Symbolic Possession	Description of Immovable Secured Assets
1. **BR/PTN/PTNA/A000000866** 1. **Mr.Madhusudan Kumar Singh** S/o Pramod Narayan Singh, Flat Number 102, Osho Villa Apartment, D.V.C Road Number 1, Near New Yarpur, Urban, Patna, Bihar, India - 800001**(Borrower)** 2. **Mrs. Reeta Devi** W/o Madhusudhan Kumar Singh, Flat Number 102, Osho Villa Apartment, D.V.C Road Number 1, Near New Yarpur, Urban, Patna, Bihar, India - 800001**(Co Borrower)**	20.02.2024	36,45,073/- (Rupees Thirty Six Lakh Forty Five Thousand Seventy Three Only)	02.05.2024	**SCHEDULE OF THE PROPERTY** Ward No. 16, Mauza – Yarpur, Property No – 2172740, P. S – Jakkanpur, Revenue Circle 262, New Holding No – 1312/380, P. S No – 29, Khata No – 30, Khesra No – 423, Sub Registry + Dist – Patna, Area Admeasuring – 1250 Sq. Ft Which Is Bounded By: -North – Open Space Of Building,South – Flat No. 103, Passage, Lift And Staircase,East – Open Space Of The Building,West – Flat Number 101

Date: 07.05.2024
Place: Patna

Authorised Officer
Hinduja Housing Finance Ltd
Contact No - RRM/RLM NO – 9955465043, CRM – 7667094178, CLM - 7488045763

सन्मार्ग

Live News & Epaper
http://www.live7tv.com

एक झलक

अगलगी में भैंस झुलसी

सिकरहना/पू.च/सं। झरौखर थाना क्षेत्र अन्तर्गत विशुनपुर पंचायत के कोन्हवा टोला में अचानक आग लगने से बिशुनपुर गांव निवासी श्यामसुन्दर कुशवाहा के पशु घर में अचानक आग लग गयी। इस घटना में घर में भैंस व उसका बच्चा बुरी तरह झुलस गया। जबकि पशुओं को बचाने के प्रयास में श्यामसुन्दर कुशवाहा भी आग से आंशिक रूप से जख्मी हो गये। आग लगने का कारण पशु घर में मच्छरों से बचाव के लिए लगाया गया अलाव बताया गया है।

मारपीट में इलाजरत महिला की मौत, प्राथमिकी

सिकरहना/पू.च/सं। घोड़ासहन थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना के पश्चात पीएमसीएच पटना में इलाजरत 56 वर्षीय महिला सीता देवी की मौत हो गयी है। मामले को लेकर लेकर सीता देवी के पति सिकंदर राय ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होने सात लोगों को आरोपित किया है। घटना थाना क्षेत्र के कस्वा कदमवा यादव टोला की है। पुलिस प्राथमिकी के आधार पर कारवाई में जुट गई है। वही शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौप दिया गया है। विदित हो कि प्राथमिकी के अनुसार दो मार्च को आरोपितों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना के बाद उक्त महिला को भर्ती कराया गया था, जिसकी मौत दो मई को हो गई थी।

लोगों को प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा : राधामोहन

मोतिहारी/सं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह निवर्तमान सांसद एवं पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राधामोहन सिंह जिले के पिपरा विधानसभा के मेहसी प्रखंड के भूड़कुड़वा, राजेपुर पंचायत एवं तेतरिया प्रखंड के कोठिया पंचायत में जनसंपर्क करते हुए जन सभा की। इस दौरान लोगों ने पुष्प हार पहनाकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान भारी भीड़ और लोगों में उत्साह देखकर निवर्तमान सांसद राधामोहन सिंह काफी गदगद दिखे। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार बनी तो गांव कस्बों की कच्ची सड़कें पक्की बनने लगी। जिस चुल्हे की धुएं से हमारे घर की महिलाएं बीमार हो जाती थी, अब उन्हें उज्वला गैस मिलने से धुएं से बीमार पड़ने की नौबत नहीं आती। अब आगामी 25 मई को पूर्वी चंपारण में कमल खिलने जा रहा है। कहा कि मोदी जी की गारंटी पर जनता को पूरा भरोसा है। जनता मोदी जी के साथ है।

बाइक सवार युवक को गोली मारकर किया घायल

बेतिया/सं। अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। मौके से घायल युवक के बाइक को लेकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपुर पटवारी टोला की है। ग्रामीणों के सहयोग से गंभीर स्थिति में युवक को बेतिया जीएमसीएच लाया गया जहां इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि अपराधी किसी एजेंट से पैसा लूट कर भाग रहे थे।तभी मंजीत यादव अपराधियों को रोकने की कोशिश की जिस पर अपराधियों ने बाया हाथ में दो गोली मारी और मुंह में एक गोली लगी है। गोली आर पार हो गई है ।वहीं मौके से अपराधियों ने घायल अवस्था में पड़े युवक का बाइक ले कर फरार हो गए। वही युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

बाइक चोरी मामले में प्राथमिकी दर्ज

कटेया/सं। कटेया थाना क्षेत्र के हवही माई के स्थान से एक बाइक चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है थाना क्षेत्र के बैरिया टोला मेहिया निवासी रोहित कुमार कुशवाहा ने अज्ञात के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि मैं टेंट हाउस का काम करता हूं।मैं हवही माई के स्थान पर 27 अप्रैल को यज्ञ में शामिल होने के लिए अपनी एच एफ डीलक्स बाइक जिसका रजिस्ट्रेसन नंबर यूपी 57,ए वाई 1992 से गया था जहां रात्रि के 11:00 बजे से 12:00 बजे के बीच में मेरी बाइक लापता हो गई मैं एवं कमेटी के लोग पूरी रात बाइक की खोजबिन किए।

बीएलओ बांटेंगे फोटोयुक्त मतदाता पर्ची : जिलाधिकारी

मोतिहारी/सं। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अवसर पर प्रत्येक मतदाता को फोटो मतदाता पर्ची उपलब्ध कराया जायेगा। इस कार्य को मतदान की तिथि से 5 दिन पहले कर लेना है। इसकी सफलता को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी, सौरभ जोरवाल के द्वारा सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, को निर्देश दिया गया है कि मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से 18 मई 2024 तक हर हाल में सभी मतदाताओं को फोटो मतदाता पर्ची का वितरण करना सुनिश्चित कराई जाए। इस कार्य को डोर टू डोर करना होगा। किसी भी स्थिति में किसी स्थान पर केंद्रित होकर वितरण नहीं करना है। वहीं मतदाता पर्ची पर बीएलओ को स्पष्ट हस्ताक्षर करना होगा। उन्होने कहा कि पहले से पर्ची पर हस्ताक्षर करके पास में नहीं रखेंगे। मतदाता पर्ची के वितरण की प्राप्ति का हस्ताक्षर पंजी में लिया जाएगा। अनपढ़ो के लिए बाएं अंगूठा का निशान लिया जाएगा उन्होने निदेशित किया कि प्रतिदिन वितरण संबंधी प्रतिवेदन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को संध्या 5 बजे तक उपलब्ध करा दंगे। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी के पोषक क्षेत्र में भ्रमण कर मतदाता पर्ची वितरण का सत्यापन करेंगे और वितरण संबंधी प्रमाण पत्र संबंधित सीडीपीओ को उपलब्ध कराएंगे। अनुमंडल पदाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकानदारों के माध्यम से मतदाता पर्ची वितरण का भौतिक सत्यापन प्राप्त करेंगे। किसी बीएलओ के द्वारा चूक की गई है तो इसे काफी गंभीरता से लिया जाएगा।

जिलेभर में मिट्टी के नमूने संग्रह करेंगे कृषि समन्वयक व किसान सलाहकार

मोतिहारी/सं। जिले में इस वर्ष-के लिए कुल 319 हजार मिट्टी नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर सभी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, एटीएम व बीटीएम को विभागीय स्तर पर जिम्मेवारी सौंपी गई है, साथ ही सभी ब्लॉक के सभी राजस्व ग्राम से मिट्टी नमूनों के संग्रहण का टास्क दिया गया है। मिट्टी नमूनों के संग्रहण कार्य को समय पर पूरा कराने के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। आगामी इस कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। फलस्वरूप लक्ष्य जिले के सभी ब्लॉक में मिट्टी नमूनों के संग्रहण के लिए निर्धारित किया गया है। इसमें आदापुर 1071, चकिया 1134, अरेराज 868, बंजरिया 793, बनकटवा 6, छौड़ादानो 930, चिरैया 1495, ढाका 1495, घोड़ासहन 868, तुरकौलिया ब्लॉक में 992 मिट्टी नमूनों के संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

स्कॉर्पियों सीख रहे युवक ने दो को रौंदा, दादा की मौत, पौत्र गंभीर

गुस्साये लोगों ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त, सड़क जाम

मोतिहारी/सं। जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी पंचायत के चूरिहरवा टोला गांव में स्कॉर्पियो सीखे रहे एक युवक ने सड़क किनारे खड़े दादा व पोता को ठोकर मार दी। जिसमें दादा की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि घायल पोता का गंभीर स्थिति में इलाज चल रहा है। घटना के बाद स्कार्पियो सीख रहे युवक व चालक घटनास्थल पर गाड़ी छोड़ फरार हो गया। घटना में मृतक की पहचान अजगरी पंचायत के चूरिहरवा टोला निवासी 55 वर्षीय महंगू मियां के रूप में हुई। जबकि घायल बच्चा मृतक का दो वर्षीय पोता मोहम्मद अली बताया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चैलाहां-फुलवार मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। साथ उक्त स्कार्पियो को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं स्कॉर्पियो सीख रहे युवक के पिता शेख मुमताज को पकड़ कर जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची बंजरिया थाना पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद शेख मुमताज को ग्रामीणों के चंगुल से मुक्त कराकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया है। ग्रामीणों के अनुसार रविवार को चूरिहरवा टोला निवासी शेख जब्बार के पुत्र का बरात खैरवा जाने के लिए निकल रही थी, इस बीच शेख मुमताज का पुत्र स्कार्पियो चालक से चाबी लेकर गाड़ी चलाते हुए अपने सड़क किनारे अपने दरवाजे पर बैठे महंगू मियां और उनके दो वर्षीय पोता मो. अली को रौंद दिया। जिसमें दादा का घटनास्थल पर ही मौत हो गयी, जबकि पोता इलाजरत है। बंजरिया थानाध्यक्ष इंद्रजीत पासवान ने कहा कि ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अग्रेतर कारवाई की जा रही है।

फर्जी लूटकांड दर्ज करानेवाला सीएसपी संचालक गिरफ्तार

मोतिहारी/सं। जिले के दरपा थाना पुलिस ने फर्जी लूट कांड दर्ज कराने वाला सीएसपी संचालक को गिरफ्तार किया है। बताया गया है, कि दरपा थाना क्षेत्र स्थित पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक गौतम कुमार सिंह ने लिखित आवेदन देते हुए तीन अज्ञात अपराधी द्वारा चाकू एवं पिस्टल का भय दिखाकर ग्राहक सेवा केन्द्र से पचास हजार रुपए लूटने के विरूद्ध कांड दर्ज कराया। आवेदन के आलोक में कांड दर्ज कर एसपी कांतेश कुमार मिश्र के निर्देश पर डीएसपी रक्सौल धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व लूटकांड का तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया गया। इस दौरान पाया गया कि आवेदक द्वारा रुपए को गबन करने की नियत से पुलिस को दिग्भ्रमित करते हुए फर्जी कांड दर्ज कराया गया है। अनुसंधान में आये तथ्यों के आधार पर फर्जी लूटकांड दर्ज कराने वाले ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक लखौरा थाना क्षेत्र निवासी गौतम कुमार सिंह को दरपा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। कांड के सफल उद्भेदन करने वाले टीम डीएसपी रक्सौल धीरेन्द्र कुमार, दरपा थानाध्यक्ष उमाशंकर मॉझी, थानाध्यक्ष,पीएसआई नीतीश कुमार व दरपा थाना के सशस्त्र बल शामिल थे।

एसपी ने किया पुलिस चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण

बगहा/सं। पुलिस जिलान्तर्गत विधि व्यवस्था व शांति बहाली के लिए पुलिस द्वारा लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्जनों चेकपोस्ट बनाये गये हैं। जहां से गुजरने वाले सभी छोटे बड़े वाहनों को रोक जांच किया जा रहा है।रविवार की शाम बगहा पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज द्वारा नगर थाना के छत्रौल में बनाये गये पुलिस चेकपोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया।इस दौरान एसपी ने चेकपोस्ट पर मौजूद पुलिस पदाधिकारी को कई दिशा-निर्देश दिया।

चरस तस्करी मामले में एक को दस वर्षों का सश्रम कारावास

मोतिहारी/सं। 12 वीं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह एनडीपीएस एक्ट कोर्ट नंबर एक के विशेष न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को दस वर्षों का सश्रम कारावास व दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाए। अर्थ दंड नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पश्चिमी चंपारण रामनगर थाना के हरिनगर सिसवानी टोला निवासी गोविंद सहनी को हुई। मामले में पलनवा भेलाही ओपी के तत्कालीन सअनि रामनारायण राम ने भेलाही ओपी थाना कांड संख्या 17/2024 दर्ज कराते हुए गोविंद सहनी को नामजद किया था। जिसमें कहा था कि 3 अप्रैल 2016 की संध्या करीब 4.30 बजे भेलाही ओपी चेक पोस्ट के पास पुलिस बल गस्त लगा रही थी। उसी दौरान चेकिंग से बचने के लिए एक व्यक्ति नेपाल की ओर से पगडंडी पकड़ कर आ रहा था।

सभी बूथों पर निर्धारित सुविधा बहाल कराएं प्रधानाध्यापक : बीडीओ

सुगौली/पू.च/सं। प्रखंड के सभी 86 बुथों पर मतदान के दिन निश्चित न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित कराने को लेकर प्रखंड के सभागार में बीडीओ के द्वारा सोमवार को एक बैठक की गई। बैठक में उपस्थित सभी बूथों के प्रधानाध्यापकों को प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक निबंधक निवार्ची पदाधिकारी तेज प्रताप त्यागी ने बूथों के प्रधानाध्यापकों से उनके केन्द्रों पर उपलब्ध करायी गई सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि सभी बूथों पर मतदान के दिन बिजली, पानी, शौचालय, रैम्प, व्हील चेयर, टेंट और शेड की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित कराना है। जिन केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं में से किसी तरह की अगर कमी है तो इसकी जानकारी करा दें, जिससे वहां की समस्या को समय रहते दूर करा दिया जाये। कम से कम एक दिन पहले सभी बूथों पर निश्चित रूप से सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी। जिससे मतदान के दिन वृद्ध,महिला और विकलांग सहित किसी मतदाता को मतदान केंद्र तक पहुंचने और मतदान करने में कोई दिक्कत नही होवे। बैठक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम विजय यादव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी प्रियरंजन, बीपीआरओ नाजीश परवीन, प्रधानाध्यापक पवन यादव,शमीमूल हक,अरुण कुमार सिंह,राघवेन्द्र कुमार कमलेश, निरंजन कुमार,बिनोद चैधरी, अखिलेश यादव,प्रभुनाथ प्रसाद,बृजेश पटेल, शशिकांत प्रसाद,रविंद्र राव,महेश कुमार सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

ईस्टर्न शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN: L15421BR1964PLC006630
पंजीकृत कार्यालय: पीओ. हनुमान चीनी मिल्स, मोतिहारी, थाना-मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार-845401
ईमेल आईडी: info@eastersugar.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटंन आवश्यकताएं) बिनिमय,2015 के विनियम 42 के अनुपालत के तहत कंपनी ने एनसीएलटी आदेश दिनांकित 04/10/2023 के अनुसार 06 मई, 2024 को आयोजित बोर्ड बैठक ने पूंजी कटौती के उद्देश्य के लिए सोमवार, 20 मई,2024 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

दिल्ली
मई 06, 2024

ईस्टर्न शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड *के पक्ष में*
दीपक सिंह भंडारी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

ESAF
ESAF SMALL FINANCE BANK
REGD. OFFICE: ESAF Bhavan, Mannuthy, Thrissur- 680 651, Kerala.

GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold ornaments pledged with ESAF Small Finance Bank and not redeemed by borrowers, despite repeated reminders and notices, of our branches, are listed below. This will be auctioned as per the details given below:

DATE OF AUCTION : **15-05-2024** TIME : **2 PM TO 5 PM**
AUCTION VENUE : **THROUGH E-AUCTION**
AUCTION ADDRESS : **https://egold.auctiontiger.net**
Contact No. 6351896640

To register as bidder for the e-Auction with terms and conditions, and full details of e-Auction please visit the above site

BRANCHES & LOAN ACCOUNT NUMBERS

Aurangabad-Bihar: 63230000377936 **Bhagalpur:** 63230000232070, 386519, 392897 **Bounsi:** 63230000051760 **Patna:** 75230000285402, 350010 **Saharsa:** 63230000068618, 243949, 337733, 385641, 387577, 75220001696320.

Customers who are interested to release the ornaments by paying the total due amount may do so, at the respective branches, on or two days before the date of the auction.

Bidders who wish to participate in the auction shall produce their KYC documents. GST No. is mandatory for registered firms/companies. Bidders shall deposit a sum of Rs.50,000 as EMD before participating in the auction.

Thrissur
Date: **06-05-2024**

Sd/-
Authorized Signatory

मतदान केंद्रों पर चलाया गया जागरुकता अभियान

बगहा/सं। अधिक से अधिक मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी हो इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को बीडीओ बगहा एक के नेतृत्व में इसको लेकर जागरूकता रैली,वॉल पेंटिंग,मेहंदी रचाओ कार्यक्रम आदि का आयोजन कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसी क्रम में सोमवार को प्रखंड बगहा एक के बूथ संख्या 76 एवं 77 पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रखंड बगहा एक की बीडीओ प्रदीप कुमार,सीओ नर्मदा श्रीवास्तव, आईसीडीएस के कर्मियों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक किया गया। बीडीओ बगहा एक ने बताया कि इसके अलावा पंचायत स्तरीय कर्मियों को पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया गया है।उन्होंने बताया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रो पर सेविका, सहायिकाओं के नेतृत्व में चित्रांकन, वॉल पेंटिंग,रंगोली प्रतियोगिता एवं मेहंदी लगाओ प्रतियोगिता का आयोजन कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए निर्देशित किया गया है। ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

बाइक चोरी मामले में प्राथमिकी दर्ज

कटेया/सं। कटेया थाना क्षेत्र के हवही माई के स्थान से एक बाइक चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में अज्ञात के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है थाना क्षेत्र के बैरिया टोला मेहिया निवासी रोहित कुमार कुशवाहा ने अज्ञात के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि मैं टेंट हाउस का काम करता हूं।मैं हवही माई के स्थान पर 27 अप्रैल को यज्ञ में शामिल होने के लिए अपनी एच एफ डीलक्स बाइक जिसका रजिस्ट्रेसन नंबर यूपी 57,ए वाई 1992 से गया था जहां रात्रि के 11:00 बजे से 12:00 बजे के बीच में मेरी बाइक लापता हो गई मैं एवं कमेटी के लोग पूरी रात बाइक की खोजबिन किए लेकिन मेरी बाइक नहीं मिली वहीं पुलिस पीड़ित के दिए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की छानबीन कर रही है।

चोरी की कार के साथ चालक गिरफ्तार

कुचायकोट/सं। कुचायकोट पुलिस आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सघन वाहन जांच अभियान चला रही थी इसी क्रम में बलथरी चेक पोस्ट पर एक चोरी की कार के साथ एक कार चोर को गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार किया गया युवक दरभंगा का निवासी बताया जाता है थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि आगामी संसदीय चुनाव को देखते हुए एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर पुलिस बलथरी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच कर रही थी इस क्रम में उत्तर प्रदेश के तरफ से आ रहे लखनऊ नम्बर कार को रोककर पुलिस ने जब चालक से गाड़ी की कगजात मांगी तो चालक गाड़ी संबंधित कोई कागज प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके बाद पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार करते हुए कार को जब्त कर लिया पुलिस ने चालक से जब पूछताछ की तो पता चला कि यह कार पिछले बर्ष दिल्ली से चोरी की गई थी गिरफ्तार किया गया कार चालक दरभंगा जिला के जाले थाना क्षेत्र की कतरौल गांव का निवासी ईश्वर कुमार बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कार चालक के खिलाफ प्राथमिकी कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में भेज दिया।

एएमआईएम उम्मीदवार दीनानाथ मांझी सहित चार ने किया नामांकन

गोपालगंज/सं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एम आई एम ने गोपालगंज में अपना उम्मीदवार दीनानाथ माझी को घोषित किया है इसके बाद नामांकन के अंतिम दिन दीनानाथ मांझी ने भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान पार्टी के समर्थक उनके साथ मौजूद रहे हाल ही में पार्टी के दिवंगत नेता असलम मुखिया के पुत्र अनस सलाम दीनानाथ मांझी के साथ नामांकन में कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। इस दौरान दीनानाथ मांझी ने कहा कि उन्हें ओवैसी साहब की पार्टी ने जो सम्मान दिया है इसके लिए वह दिवंगत नेता असलम मुखिया को श्रद्धांजलि देते हुए नमन करते हैं।

स्वास्थ्यकर्मियों की बैठक आयोजित

बगहा/हरनाटांड़/सं। स्वास्थ्य केंद्र हरनाटांड़ अंतर्गत रेफरल अस्पताल सेमरा में हीट स्ट्रोक्स, लू, एईएस, जेई, मस्तिष्क बुखार, चमकी आदी को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। इस दो दिवसीय बैठक के प्रथम दिन 160 आशा कर्मी पहुंची हुई थी। शेष आशा कर्मी मंगलवार को बैठक में उपस्थित होगी।बैठक में आशा कर्मियों को उपरोक्त बीमारियों के प्रति जागरूक किया गया । इसके साथ ही उन्हें चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर भी सेवा देने को लेकर जागरूक किया गया। बैठक के दौरान उक्त बीमारी से प्रभावित बच्चों का उचित प्रबंधन एवं पीकू, एईएस वार्ड में भर्ती कर इलाज सुनिश्चित करने की जानकारी कर्मियों को दी गयी। बीसीएम अनिल कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राजेश सिंह नीरज के निर्देश पर दो दिवसीय बैठक का आयोजन सोमवार को किया गया।जिसमें हीट स्ट्रोक्स, लू, एईएस, जेई, मस्तिष्क बुखार, चमकी सहित इलेक्शन संबंधित दिशा-निर्देश आशा कर्मियों को दी गई। उन्होंने बताया कि चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्रों पर आशा की नियुक्ति की जाएगी।

चौपाल लगाकर मतदान के लिए लोगों को किया गया जागरूक

कुचायकोट/सं। कुचायकोट प्रखंड के खजूरी पंचायत के महुअवा सहित अन्य गांवो में सोमवार को दिव्यांगों की टीम ने चौपाल लगाकर लोगो को मतदान के लिए जागरूक किया गांव के दिव्यांगजन,महिला तथा अन्य लोगों का चौपाल लगाकर दिव्यांग जनों की टीम ने मतदान के महत्व और मतदान में आम लोगों के भूमिका को लेकर विस्तार रुप से चर्चा की ।चौपाल में उपस्थित लोगों से चर्चा करते हुए पारा बोसिया खिलाड़ी दिव्यांग नीतीश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव महापर्व की तरह होता है संविधान ने इस देश में सभी मतदाताओं को वोट का अधिकार दिया है ।सभी अपने अपने वोट के माध्यम से अपने पसंद के प्रत्याशी का चयन करेंगे। कि वह अपने इस बहुमूल्य अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने पसंद के सरकार का चुनाव करें। दिव्यांग जनों की टीम ने गांव के सभी महिला, पुरुष तथा दिव्यांग जनों से आगामी 25 मई को मतदान करने के लिए शपथ भी दिलाई ।

मतदान को लेकर छात्रों ने निकाली जागरुकता रैली

सुगौली/पू.च/सं। सेक्टर 35 के सेक्टर पदाधिकारी योगेन्द्र प्रसाद साह प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तरी छपरा बहास के नेतृत्व में मतदाता रैली निकाली गई। रैली पोषक क्षेत्र कैथवलिया, मेहवा सहित अन्य गावों का भ्रमण किया। बताया कि गांव-गांव, घर-घर से वोटर निकल कर बूथ पर पहुंच कर अपना मतदान जरूर करें। उल्लेखनीय है कि शत-प्रतिशत मतदान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। जिसमें उत्क्रमित मध्य विधालय मेहवा कन्या के प्रधानाध्यापक जयप्रकाश शुक्ल, बीएलओ जगन्नाथ सहनी, शिक्षक अभय कुमार पांडेय सहित सैकड़ों की संख्या सहित छात्र-छात्राएं शामिल थी।

1300 पर 107 और 8 पर सीसीए के तहत कार्रवाई

सुगौली/पू.च/सं। लोक सभा चुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करने को लेकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव शान्तिपूर्वक, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने और क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नही हो, फलस्वरूप स्थानीय पुलिस के द्वारा 1300 सौ लोगो पर 107 की कार्रवाई की गई है। वही 8 लोगो पर सीसीए 3 के तहत कार्रवाई की गई है। मतदान के दिन असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई व्यवधान उत्पन्न नही हो।

उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक
ujjivan SMALL FINANCE BANK
पंजीकृत कार्यालयः ग्रेप गार्डन, सं. 27, थर्ड "ए" क्रॉस, 18थ मेन, 6थ ब्लॉक, कोरामंगला, बेंगलुरू-560095, कर्नाटक
शाखा कार्यालयः चौथी मंजिल, ऋषि टेक पार्क, परिसर सं. 020360, प्लॉट नं. डीएच6/2, एक्शन एरिया 1डी, न्यू टाउन-700160, कोलकाता

कब्जा सूचना

चूंकि, **उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय सम्पत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन,2002 के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्राप्त शक्तियो के प्रयोग द्वारा कर्जदारों/सह-कर्जदारों को मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें कर्जदारों से संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अदंर संबंधित सूचनाओं में किए गए उल्लेख के अनुसार संबंधित नामें के समक्ष उल्लेखित रकम के साथ लागू दरों पर उस पर ब्याज साथ में भुगतान तथा/अथवा वसूली की तारीख तक उपार्जित यथा लागू भविष्य के ब्याज, लागत, शुल्कों की रकम चुकता करने को कहा गया था।

क्र. सं	ऋण सं	कर्जदार/सह-कर्जदार/ गारंटर/गिरवीदाता का नाम	13(2) सूचना तिथि/ बकाया रकम (रु.में) यथानुसार	कब्जा की तारीख एवं प्रकार
1	333747970 0000026	1)शिवनाथ महतो 2) ललिता देवी 3) जागेश्वर महतो	29.09.2021 रु. 4,12,092/- दि. 04.09.2021 के अनुसार	02.05.2024 प्रतीकात्मक कब्जा

अचल सम्पत्ति का विवरण : मौजा - सिपारा, थाना-बेउर, तौजी नंबर 5237, थाना नंबर 27, खाता नंबर 107, वार्ड नंबर 21 (पुराना) 30 (नया), सर्वे प्लॉट नंबर 588, एरिया 7 धुर, जिला-पटना में स्थित अचल संपत्ति, यानी विचाराधीन भूमि का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा

चूंकि, यहां ऊपर उल्लेखित कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटीदाता/गिरवीदाता द्वारा बकाया रकम का भुगतान करने में असफल होने के कारण, एतद्द्वारा विशेष रूप से यहां ऊपर उल्लेखित कर्जदार एवं साधारण तौर पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम8 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ऊपर उल्लेखित तारीख को यहां ऊपर उल्लेखित सम्पत्ति/ प्रत्याभूत आस्तियों पर कब्जा कर लिया गया है। कर्जदार तथा सह-कर्जदार/गिरवीदाता का ध्यान प्रत्याभूत सम्पत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। विशेष तौर पर यहां ऊपर उल्लेखित कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटीदाता/गिरवीदाता तथा आम तौर पर जन साधारण को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि ऊपर उल्लेखित सम्पत्ति/प्रत्याभूत आस्तियों से संबंधित कोई सौदा न करें तथा ऊपर उल्लेखित सम्पत्ति/प्रत्याभूत आस्तियों से संबंधित कोई भी सौदा उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

स्थान : बिहार
तारीख : 02.05.2024

हस्ता/- अधिकृत अधिकारी
उज्जीवन स्मॉल फाइनैंस बैंक लिमिटेड